न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

मौजी शर्मा बनाम बाबूलाल वगैरह

मु० नं० – 24/2018

की बहस को सुना गया। प्रा.
वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का अवलोकन
खाता 88,188 रकबा काश्तकारी
अधि० की स्वीकार किया जाकर
प्रस्तुत निर्णय पृथक से लिखा
गया। फाईल शामिल मिसल किया
जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय
सुनाया गया।

पत्रावली फैसला दर्ज रजिस्टर होकर
नियम से काम हो तलब बाद पूर्ति
दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राज0
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
24 / 2025	24 / 01 / 2025	03 / 02 / 2025

1. गौरी शर्मा पत्नि ओमप्रकाश मीणा जाति ब्राहमण निवासी 31, प्रेम कॉलोनी, तरूछाया नगर, टोंक रोड, सांगानेर, जयपुर, जिला जयपुर, राजस्थान।

वादी

बनाम

1 बाबूलाल पुत्र रामकिशोर
2 रामकल्याण उर्फ कल्याण पुत्र रामकिशोर
3 कमला देवी पत्नि रामफूल
4 मनोहर पुत्र रामफूल
5 राजेन्द्र पुत्र रामफूल
6 राधादेवी पुत्री रामफूल
जातियान कुम्हार (प्रजापति), निवासी ग्राम चावण्डिया, तहसील आंधी, जिला जयपुर, राजस्थान।
7 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आंधी, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभावक
श्री पुष्पेन्द्र शर्मा :– वकील वादी।

दावा बाबत घोषणा खातेदारी, स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 188 आर0टी0एक्ट

–: निर्णयः–

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री पुष्पेन्द्र शर्मा ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादी इस कथन के साथ पेश किया कि वाद ग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 100 रकबा 2.0600है0 भूमि वाके ग्राम चावण्डिया, पटवार हल्का चावण्डिया, तहसील आंधी जिला जयपुर में स्थित है। उक्त सम्पत्ति में प्रतिवादी सं0 1 का अविभाजित हिस्सा 1/6 भाग, प्रतिवादी सं0 2 का अविभाजित हि0 1/6, प्रतिवादी सं0 3 का अविभाजित हि0 1/24, प्रतिवादी सं0 4 का अविभाजित हि0 1/24, प्रतिवादी सं0 5 का हिस्सा 1/24 राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहा है। इस प्रकार प्रतिवादीगण का संयुक्त कुल हिस्सा 1/2 भाग है। जिसको प्रतिवादी सं0 1 ता 6 ने जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर वादिया को विक्रय कर दिया है, तथा विक्रय प्रतिफल की सम्पूर्ण राशि प्रतिवादी सं0 1 ता 6 ने वादिया से प्राप्त करते हुए भूमि के विक्रय पत्र का पंजीयन कार्यालय उप पंजीयक आंधी में दिनांक 12.11.2024 को पुस्तक सं0 1 जिल्द सं0 40 में पृष्ठ सं0 29 कम सं0 202403423101406 पर पंजीबद्व किया गया है। इस प्रकार उक्त वर्णित भूमि में वादिया का कयशुदा कुल हिस्सा 1/2 भाग निहित होकर चला आ रहा है, जिस पर वादिया साधिकार काबिज काश्त चली आ रही है। उक्त वर्णित भूमि के पंजीकृत विकयपत्र की प्रति वादिया ने हल्का पटवारी को वास्ते नामा0 दर्ज कर वादिया को खातेदार दर्ज करने वास्ते दे दी थी। दिनांक 19.01.2025 को वादिया द्वारा हल्का पटवारी से नकल लेने पर वादिया को ज्ञात हुआ कि वादिया कि उपरोक्त कयशुदा भूमि का हाल तक राजस्व रिकार्ड में नामा0 नही खुला है। वादिया अपनी कयशुदा भूमि का नामा0 खुलवाने के लिए तहसील कार्यालय तथा हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तो वे वादिया को बारम्बार टालमेटाल कर रहे है तथा अब प्रतिवादी सं0 1 ता 6 की नियत में फीतुर आ गया है तथा वे अपना नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने का

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

फायदा उठाकर उक्त मदसं0 1 में वादिया की कयशुदा भूमि को अन्य किसी भी दिगर को बेचान करके तथा भूमि को बैक के रहन रख सकते है। इसलिए वादिया के लिए अपनी कयशुदा भूम को राजस्व रिकार्ड मे अलम करवाने के लिए अपनी कयशुदा भूमि को राजस्व रिकार्ड में अमल करवाने के लिए यह दावा पेश किया है। अतः उक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 100 रकबा 2.0600है0 भूमि वाकै ग्राम चावण्डिया, तहसील आंधी के हिस्से 1/2 भाग की वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में वादिया को नाम बतौर खातेदार काश्तकार अमल दरामद करने का आदेश तहसीलदार आंधी को दिया जावें तथा प्रतिवादी सं0 1 ता 6 को स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित किया जावें किवे वादिया की कयशुदा भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा व दखल नही करे।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ता 6 ने दिनांक 30.01.25 को उपस्थित होकर राजीनाम/सहमति जवाब द्वारा पेश कर निवेदन किया कि वाद पत्र में अंकित बिन्दू सं0 1, 2, 3 स्वीकार है। प्रतिवादीगण वादांकित भूमि का विक्रय वादिया को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र कर दिया है। जिससे प्रतिवादीगण का कोई लेना देना नही है। प्रतिवादीगण द्वारा विक्रय शुद्वा वादांकित भूमि से प्रतिवादीगण का कोई लेना देना नही है। बिन्दू सं0 6 ता 10 कानूनी है। यह कि वादांकित भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा वादियाको विक्रय भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण का कोई लेना देना नही है। वादिया जो मुनासिफ समझे अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा वादिया को विक्रय भूमि से प्रतिवादीगणों को कोई आपत्ति नही है। वकील वादी की बहस सुनी गई।

हमने बहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। बहस सुनने व अवलोकन करने पर वादिया का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार किया जाकर वादिया के वाद पत्र अंकित भूमि खसरा नम्बर 100 रकबा 2.0600है0 ग्राम चावण्डिया, पटवार हल्का चावण्डिया, तहसील आंधी में वादिया को पंजीकृत विक्रय पत्र अनुसार हिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार आंधी को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादिया को हिस्सा 1/2 खातेदार काश्तकार अंकित किया जावें। साथ प्रतिवादीगण सं0 1 ता 6 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादिया की कय शुदा भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा व दखल नही करें। तद्नुसार डिकी जारी हों।

निर्णय की प्रति तहसीलदार आंधी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो पत्रावली दाखिल दफतर हो ।

निणय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 03.02.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ